

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

नौवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की नौवीं वार्षिक आम सभा मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“ प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है। ”

2. कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“ प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कंपनी की समता अंश पूँजी रुपये 7/- प्रति समता अंश की दर से, 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लाभ में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 29,79,374 समता अंशों पर रू. 208.56 लाख वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है। ”

3. श्री अनिल कुमार (सी.आई.एन. : 07464066), जो “ कोई श्रेणी नहीं ” के अंतर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“ प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों पुर्न-अध्यादेश) श्री अनिल कुमार, कंपनी के निदेशक, जो “ कोई

श्रेणी नहीं" के अंतर्गत आते हैं, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्री मानिक चन्द्र (डी.आई.एन. 09679787) को जो "श्रेणी-ए" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

4. श्री हरेन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 08526484), जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तर्नियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश सहित) श्री हरेन्द्र पाल सिंह, कंपनी के निदेशक जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आते हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. 09680147) को जो "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

5. श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410), जो बोर्ड में "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410) जो बोर्ड में "श्रेणी-सी" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को कम्पनी में निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

6. 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जात है।"

7. कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378-I और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, तथा कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के तहत, अंशधारकों की सहमति सहित कंपनी के अंतर्नियमों में जहाँ तक संभव हो सके, निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है -

- (1) मौजूदा अनुच्छेद 4.3 (iii) में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 4.3 (iii) :- कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसकी सदस्यता को खारिज करने के लिए, कम्पनी द्वारा उसे एक लिखित नोटिस सुनवाई के अवसर के साथ जारी किया जायेगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए, बोर्ड समीक्षाधीन वर्ष में सभी सदस्यों को एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस निम्नलिखित द्वारा/के माध्यम से भेजा जायेगा :

- सदस्य को उसके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत पोस्ट और भेजने के पाँच दिन बाद प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा, या
- इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सदस्यों को उनकी ई-मेल आईडी पर, जो कंपनी के पास पंजीकृत है तथा ई-मेल भेजने के दिन को, नोटिस प्राप्ति का दिन मान लिया जायेगा।

तत्पश्चात, बोर्ड इस मामले पर निर्णय लेगा।

- (2) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 9.13(i) : बोर्ड मीटिंग के लिए आवश्यक कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जिसमें एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित कम से कम तीन की मौजूदगी आवश्यक होगी। तथापि, यदि निदेशक मंडल में कोई विशेषज्ञ निदेशक न हो तो निदेशक मंडल की मीटिंग में कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुच्छेद 9.13(ii) : यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव का कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 20 जुलाई, 2022
स्थान – आगरा

टिप्पणी –

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है, को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखाकर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि (Proxy) के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रोक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरह से भरकर, स्टॉम्प लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रोक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।
2. सदस्य/प्रतिनिधि नौवीं वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने पर उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें।
3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुये एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
4. निम्नांकित दस्तावेज सूचना पत्र के साथ संलग्न हैं—
 - अ. मद संख्या 3, 4 और 5 के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण एवं मद संख्या 7 में वर्णित व्यवसाय के सम्बन्ध में विवरण।
 - ब. दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न हुई पूर्व वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
 - स. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता, अंकेक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट।
 - द. वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट।
5. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों को वार्षिक आम सभा के 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियां उन्हें आम सभा में उपलब्ध करायी जा सकें।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वह पते में हुए परिवर्तन को पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर सहित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।

7. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्य दिवसों में प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा की तिथि तक निरीक्षण किया जा सकता है।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं सोलह अंकों का सदस्यता कोड अवश्य लिखें।
9. सीमित आय (डिविडेंड) जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर पारित होता है तो उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनके नाम 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत हैं।
10. सदस्यों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश) की धारा 124 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यदि सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि को उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं, तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education and Protection Fund) में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षक विधि (आई.ई.पी.एफ.) में हस्तान्तरित होने वाले अनधियाचित (अवैतनिक) लाभांश इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ के हस्तांतरण की संभावित तिथि
2014-15	23/09/2015	30/10/2022
2015-16	10/09/2016	17/10/2023
2016-17	16/09/2017	23/10/2024
2017-18	13/09/2018	20/10/2025
2018-19	06/09/2019	13/10/2026
2019-20	02/11/2020	09/12/2027
2020-21	24/09/2021	31/10/2028

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्षों से संबंधित अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है/इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है वे कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं, ताकि वे उक्त निधि में हस्तांतरण के लिए देय होने से पहले भुगतान प्राप्त कर सकें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र (सर्क्युलर) आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।
12. बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 20 जुलाई, 2022
स्थान – आगरा



आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्त चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(C) और सामान्य सभा पर लागू सचिवीय मानकों के अनुसार)

मद संख्या 3, 4 और 5

बोर्ड नामांकन समिति की सिफारिश पर, श्री मानिक चन्द्र (डी.आई.एन. : 09679787, जो श्रेणी-ए का प्रतिनिधित्व करते हैं), श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. : 09680147, जो श्रेणी-सी का प्रतिनिधित्व करते हैं), की नियुक्ति और श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08526410, जो श्रेणी-सी का प्रतिनिधित्व करते हैं) की पुनः नियुक्ति, करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	श्री मानिक चन्द्र	श्री राहुल कुमार	श्री शिव कुमार शर्मा
उम्र	24	23	40
शैक्षिक योग्यता :	विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)	इंटरमीडिएट	वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम)
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 10 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 8 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 22 साल का अनुभव
नियुक्ति के नियम और शर्तें :	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग की और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	नौवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	नौवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	06/09/2019
निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या में भाग लिया	—	—	15
अंश पूजीधारिता :	213	61	22
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4)(f) के अनुसार मद संख्या 7 में निर्धारित मद के संबंध में विवरण।

मद संख्या : 7

सदस्यों को नोटिस भेजने के माध्यम को स्पष्ट करने के लिए एवं बोर्ड को वर्ष में सदस्यों को एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट देने का निर्णय लेने का विकल्प देने के लिए, अंतर्नियम के अनुच्छेद 4.3 (iii) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मूल बैठक के दिन से एक सप्ताह के भीतर एक स्थगित बोर्ड बैठक आयोजित करने के लिए, मौजूदा अनुच्छेद 9.13 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों की एक प्रति प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मध्य नोटिस की तिथि से वार्षिक आम सभा की तिथि तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी का किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके किसी भी रिश्तेदार का, किसी भी प्रकार से, इस प्रस्ताव में कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल संलग्न नोटिस के मद संख्या 7 वर्णित विशेष प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करता है।

दिनांक : 20 जुलाई, 2022
स्थान – आगरा

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव

सहज मिल्क प्रोड्यूर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की आठवीं वार्षिक आम सभा, जो शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 9:00 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार है:

उपरिस्थिति :

1.	श्री रजनीश कुमार	:	अध्यक्ष, अध्यक्ष (स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एवं अंशधारक)
2.	श्री अनिल कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री शिव प्रताप	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री उपेन्द्र सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री राजकुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री शिव कुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री योगेश कुमार जादौन	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री हरेन्द्र पाल सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री अनुरुद्ध कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्रीमती प्रेमलता	:	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्रीमती सपना	:	निदेशक एवं अंशधारक
12.	श्री बसन्त चौधरी	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
13.	श्री वरुण वर्मा	:	कंपनी सचिव

सदस्य उपस्थित

व्यक्तिगत रूप से : 45

प्रतिनिधि के माध्यम से : 2,250

श्री रजनीश कुमार ने प्रातः 9:00 बजे बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्ष ने कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कंपनी सचिव से अपेक्षित सदस्यों की उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए कहा।

तत्पश्चात्, श्री वरुण वर्मा, कंपनी सचिव, ने बताया कि उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3,146 अंश हैं तथा प्रतिनिधित (प्रॉक्सी) के माध्यम से 2,250 सदस्य जिनके 1,30,943 अंश हैं उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y सपठित अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम के लिए 21,303 होने चाहिए।

अध्यक्ष ने पाया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के अनुसार कोरम के लिए अपेक्षित न्यूनतम 21,303 सदस्यों अंशधारकों के उपस्थित नहीं होने के कारण कोरम मौजूद नहीं था। तत्पश्चात्, कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, अध्यक्ष ने बैठक में सदस्यों के शामिल होने के लिए आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

समय प्रातः 09:30 बजे, श्री वरुण वर्मा, कंपनी सचिव, ने बताया कि उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3,146 अंश हैं तथा प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के माध्यम से 2,250 सदस्य जिनके 1,30,943 अंश हैं उपस्थित थे। अध्यक्ष ने पाया कि कोरम अभी भी मौजूद नहीं था और घोषणा की कि कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की आठवीं वार्षिक आम सभा स्थगित कर इसी स्थान पर आज ही अपने निर्धारित समय से 3 घंटे के बाद आयोजित की जाएगी और सभी सदस्य सभा में पुनः सम्मिलित होंगे।

समय दोपहर 12:00 बजे, श्री वरुण वर्मा, कंपनी सचिव ने बताया कि सभा उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3,146 अंश हैं तथा प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के माध्यम से 2,250 सदस्य जिनके 1,30,943 अंश हैं, उपस्थित थे। अध्यक्ष ने पाया कि कोरम के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या अभी भी उपस्थित नहीं है। तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आधे घंटे तक पुनः प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

समय दोपहर 12:30 बजे, श्री वरुण वर्मा, कंपनी सचिव, ने बताया कि उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3,146 अंश हैं तथा प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के माध्यम से 2,250 सदस्य जिनके 1,30,943 अंश हैं, उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3146 अंश हैं तथा प्रतिनिधि के माध्यम से 2,250 सदस्य हैं जिनके 1,30,943 अंश हैं, को ही कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आठवीं वार्षिक आम सभा के लिए कोरम माना जाएगा। इसके बाद, उनके आदेश से सभा प्रारम्भ की गई।

अध्यक्ष महोदय ने कंपनी की आठवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में सभी सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को अगवत कराया कि श्री सौगत मित्रा, श्री श्रीराम सिंह एवं श्री अशोक जावा बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्होंने सदस्यों को पुनः अगवत कराया कि अंकेक्षक भी बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे एवं उन्होंने अनुपस्थिति की स्वीकृति मांगी जो कि प्रदान की गई।

इसके उपरान्त, अध्यक्ष महोदय ने कंपनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़ने के साथ सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव ने घोषणा की कि, निदेशक मण्डल की समता अंशधारिता का रजिस्टर, प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का रजिस्टर, सदस्यों की समता अंशधारिता का रजिस्टर और वैधानिक रजिस्टर निरीक्षण/जाँच के लिए सभागार के प्रवेश द्वार पर उपस्थित है, जो सदस्य उसका निरीक्षण करना चाहें, वह निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी एवं ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

आठवीं वार्षिक आम सभा को बुलाने का नोटिस जोकि सदस्यों को पहले ही वितरित किया जा चुका था, जिसे सदस्यों की सर्वसम्मति से पढ़ा हुआ मान लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संदेश को सदस्यों और बैठक में उपस्थित अन्य अतिथिगण को सुनाया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष की सहमति पर आठवीं वार्षिक आम सभा के नोटिस में निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में निम्नांकित व्यापार के बारे में चर्चा की गई :

1. 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

श्री नारायण सिंह (फोलियो संख्या : 0106597) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 01/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021-22

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।”

श्री सूरज सिंह चौहान (फोलियो संख्या : 0127608) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

श्री हरेन्द्र कुमार (फोलियो संख्या : 0061081) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित

किया।

प्रस्ताव संख्या : 02/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021-22

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कंपनी की समता अंश पूँजी रुपये 7/- प्रति समता अंश की दर से, 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लाभ में से 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 29,20,929 समता अंशों पर रु. 2.04 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा। जिनका नाम 31 मार्च, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

श्री प्रदीप कुमार (फोलियो संख्या : 0040713) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. : 07894230), जो बोर्ड में “श्रेणी-सी” का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूर्ण करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

श्री रणवीर सिंह (फोलियो संख्या : 0089722) जो “श्रेणी-सी” का प्रतिनिधित्व करते हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 03/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021-22

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. : 07894230), जो बोर्ड में “श्रेणी-सी” का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।”

श्री सचेन्द्र पाल सिंह (फोलियो संख्या : 0062264) जो “श्रेणी-सी” का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको “श्रेणी-सी” के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

4. श्री राजकुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08198083), जो बोर्ड में “श्रेणी-ए” का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

श्री नरेन्द्र कुमार (फोलियो संख्या : 0006672) जो "श्रेणी-ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 04/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021-22

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अंतर्नियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः-अध्यादेश श्री राजकुमार शर्मा, निदेशक जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्री सुशील कुमार (डी.आई.एन. 09300081) को जो "श्रेणी-ए" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

श्री संजीव कुमार (फोलियो संख्या : 0006956) जो "श्रेणी-ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको "श्रेणी-ए" के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

5. श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन : 08198050) जो बोर्ड में "श्रेणी-ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

प्रस्ताव संख्या : 05/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021-22

श्री मुकेश (फोलियो संख्या : 0039763) जो "श्रेणी-ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. : 08198050) जो बोर्ड में "श्रेणी-ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

श्री धुर्व (फोलियो संख्या : 0036147) जो "श्रेणी-ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको "श्रेणी-ए" के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

6. वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिये विचार एवं अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव करना :

श्री राजेश पाल सिंह (फोलियो संख्या : 0037131) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 06/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021-22

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 व अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हो के अनुसार मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, गुरुग्राम, हरियाणा जिनकी आई.सी.ए.आई. पंजीकरण संख्या – 101496W है, जो हमारे सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक है, उनकी पुनः नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक के रूप में पारिश्रमिक, जोकि प्रत्येक वर्ष के अन्त में निदेशक मण्डल व वैधानिक अंकेक्षकों को परस्पर स्वीकार हो एवं लागू जी.एस.टी. तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ आठवीं आम सभा की समाप्ति से लेकर ग्यारहवीं आम सभा की समाप्ति के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।”

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या : 0068629) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य पारित करना :

श्री पंकज कुमार (फोलियो संख्या : 0069042) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 07/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021-22

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।”

श्री रणवीर सिंह (फोलियो संख्या : 0127455) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. कंपनी के बहिर्नियम में उद्देश्य क्लॉज (वाक्य/परिच्छेद) में बदलाव कर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि

सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :

श्री परमकांत (फोलियो संख्या : 0063886) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 08/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021-22

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA, एवं धारा 13 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रासंगिक प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अधिनियम) के साथ कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, अंशधारकों की सहमति से कंपनी के बहिर्नियम के मौजूदा क्लॉज (वाक्य/परिच्छेद) IIIA को बदलने के लिए निम्नलिखित नई वस्तु बिन्दु (उप वाक्य/उप परिच्छेद) 5 के रूप में जोड़कर और मौजूदा बिन्दु (उप वाक्य/उप परिच्छेद) 5 को नए बिन्दु 6 के रूप में परिवर्तित करने के लिए दिया जाता है।

“5 सदस्यों, मुख्यतः व अन्य लोगों से प्राथमिक उत्पाद और उसके व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य तेल, फल और सब्जियाँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, का विपणन करना और उन कार्यकलापों में व्यवहार करना, जो प्राथमिक उत्पाद से सम्बन्धित किसी गतिविधि का भाग है या उसके लिए प्रासंगिक है।”

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो।”

श्री भूदेव सिंह (फोलियो संख्या : 0074889) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :

श्रीमती शशी (फोलियो संख्या : 0128972) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या 09/आठवीं वार्षिक आम सभा 24.09.2021/2021-22

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के

अनुसार, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो एवं धारा 31 सहित (कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय-समय लागू होने वाले पुर्न अध्यादेशों) के साथ कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, अंशधारकों की सहमति से कंपनी के अंतर्नियमों में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है –

अनुच्छेद 1.2, 1.3(i), 1.3(ii), 1.3(iii), 2.1(i), 2.1(vii), 2.1(ix), 2.1(xiii), 9.17, 9.18(ii)(k), 11.6(i)(c), 19.1 को निम्नानुसार और सीमा तक प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है और अनुच्छेद 2.1(viii) के बाद नया अनुच्छेद 2.1(viiia) सम्मिलित करने का प्रस्ताव है और अनुच्छेद 11.12(iii) को हटाने और नया अनुच्छेद 11.13 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

अनुच्छेद 1.2 : अधिनियम की अनुसूची 1 में लिखित विनियम 45 से 47 को छोड़कर, तालिका 'F' में निहित कोई भी विनियम, कंपनी पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 1.3(i) :- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A(1)के अनुसार कंपनी एक उत्पादक कंपनी है।

अनुच्छेद 1.3 (ii) :- एक निजी कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA में निर्दिष्ट के अलावा अधिनियम की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान, कंपनी पर लागू होंगे, और जैसे की यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां तक वे अधिनियम के भाग XXIA के प्रावधानों से असंगत नहीं है।

अनुच्छेद 1.3 (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378C (5) के अर्थ में कंपनी को एक निजी कंपनी माना जाता है और तदनुसार :

- (क) निम्न प्रकार से कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है।
- (ख) कंपनी के अंशों अथवा ऋण पत्रों के आवेदन हेतु जन आमंत्रण प्रतिबंधित है।

अनुच्छेद 2.1(i) :- 'अधिनियम' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या समय-समय पर लागू होने वाला कोई वैधानिक संशोधन या पुर्न अधिनियम है।

अनुच्छेद 2.1 (vii) :- 'कंपनी' का अर्थ है सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड।

अनुच्छेद 2.1 (viiia) :- 'विशेषज्ञ निदेशक' का अर्थ अधिनियम की धारा 378P में निर्दिष्ट निदेशक से है,

अनुच्छेद 2.1 (ix) :- "वित्तीय वर्ष" का अर्थ हर साल मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने वाली अवधि से है, जिसके सम्बन्ध में कंपनी का वित्तीय विवरण बनाया जाता है।

अनुच्छेद 2.1 (xiii) :- "पारस्परिक सहायता सिद्धांत" का अर्थ है अधिनियम के अध्याय XXIA में निर्धारित सिद्धांत, और जैसा कि अनुच्छेद 3 में प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 9.17 :- बोर्ड के निर्णय के अनुसार, निदेशक बोर्ड और उसकी समितियों, यदि कोई अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित की गयी हो, की बैठकों में उपस्थिति के लिए यात्रा और होटल व्याय सहित शुल्क और भत्तों के हकदार हो सकते हैं।

अनुच्छेद 9.18 (ii) (k) :- आम बैठक में अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जाँच करने के लिए अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकन समिति की गठन करने के लिए और जैसा कि इन लेखों में प्रदान किया गया है, और तदनुसार पात्र सदस्यों को इसके विचार के लिए बोर्ड को अनुशंसा करते हैं। बदले में बोर्ड की बैठक में उचित विचार के बाद, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड पर निदेशक के पद के लिए सदस्यों की सिफारिश करेगा।

अनुच्छेद 11.6 (i) (c) :- किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त नहीं किया जाएगा जो सदस्य न हो। प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में नियुक्त सदस्य ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या की ओर से कार्य करेगा जो तीन सौ से अधिक नहीं होंगे और कंपनी की अंश पूँजी के कुल मिलाकर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

अनुच्छेद 11.13 :- सामान्य बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों को सामान्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 19.1 :- बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबंध करेगा, कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड को दिये गए पिछले अधिकार के द्वारा या बोर्ड द्वारा नियुक्त एवं अधिकृत समिति के अलावा मुहर किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगायी जाएगी, बोर्ड ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित/नियुक्त कर सकता है जो हर उस दस्तावेज पर कानून के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से हस्ताक्षर करें जिन पर उनकी उपस्थिति में मुहर लगाई गई है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

श्रीमती सावित्री (फोलियो संख्या : 0128921) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

तिथि : 24 सितम्बर, 2021

स्थान : आगरा

रजनीश कुमार

अध्यक्ष

डी.आई.एन. 07894245

सहज™

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13,

आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,

आगरा-282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022-23
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन	5.83
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	96,745.42
अन्य आय	रुपये लाखों में	686.04
कुल आय	रुपये लाखों में	97,431.46
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	83,547.86
स्थित एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	13,542.88
कुल व्यय	रुपये लाखों में	97,090.74
कर पूर्व लाभ (अ-ब)	रुपये लाखों में	340.72
	प्रतिशत (%)	0.35%

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022-23
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	660.15
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	70.19
दफ्तर के उपकरण	रुपये लाखों में	100.68
कुल व्यय	रुपये लाखों में	831.02

सहज®

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13,

आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,

आगरा-282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail info@saahajmilk.com, Website www.saahajmilk.com

फॉर्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि फॉर्म (प्रॉक्सी फॉर्म)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई. एन. : U01403UP2014PTC066595
 कंपनी का नाम : सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा-बोदला रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत
 सदस्य(यों) का नाम :
 रजिस्ट्रीकृत पता :
 ई-मेल पता :
 फोलियो संख्या :
 मैं/हम उपर्युक्त नामक कंपनी के अंशों (शेयरों) के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते हैं।

- नाम :
पता :
ई-मेल पता :
हस्ताक्षर : या उनके न होने पर
- नाम :
पता :
ई-मेल पता :
हस्ताक्षर :

दिनांक 23 अगस्त, 2022 दिन मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा में मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों (प्रस्तावों) के संबंध या उसके स्थान में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मतदान देंगे (मतदान में) :

मद संख्या	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विरोध में	तटहस्थ
1.	31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना।			
2.	कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।			
3.	श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. : 07464066), जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
4.	श्री हरेन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. : 08526484), जो बोर्ड में "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
5.	श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410), जो बोर्ड में "श्रेणी-सी" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।			
6.	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
7.	कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन कर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित विशेष प्रस्ताव पारित करना।			

....., 2022 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर

टिकट चस्पा
करें।

टिप्पणी : यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण एवं कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

**सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13,

आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,

आगरा-282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail info@saahajmilk.com, Website www.saahajmilk.com**उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)****नौवीं वार्षिक आम सभा – 23 अगस्त, 2022**

रजिस्टर्ड फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
16 अंकों का सदस्य कोड	


मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी का एक पंजीकृत सदस्य/पंजीकृत सदस्य/(सदस्यों) का प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) हूँ। मैं एतद्द्वारा होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को सुबह 11:00 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का नाम

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

नोट : सदस्यों/प्रॉक्सी धारकों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची को वार्षिक आम सभा में लाएं और इसे विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप



एजीएम स्थल :
 होटल मधु रिजॉर्ट्स, एन.एच. - 19/44, निकट
 सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश-282007